



वन्यजिव्य प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमग वन परिसर, जेल रोड, वीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail: dforestrediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक

148/12-1

दिनांक

06/07/2022

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नाम से)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नाम से)।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नाम से)।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नाम से)।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ (नाम से)।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पायत वन प्रभाग, चम्पायत (नाम से)।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर (नाम से)।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा (नाम से)।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल (नाम से)।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर (नाम से)।
11. प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल (नाम से)।
12. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा (नाम से)।
13. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत (नाम से)।

विषय:-

Renewal of diversion of forest land of 1497 ha of forest land in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, Mining Division, Haldwani for collection of Minor Minerals from Gaula River in Haldwani and Tarai East Forest Division, District Nainital (Uttarakhand). (Online proposal no. FP/UK/MIN/149754/2021) - reg.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8-61 /1999-FC(Pt.IV) दिनांक-12.05.2022 एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी का पत्रांक-524/दि0-30.06.2022।

महोदय,

तराई पूर्वी वन प्रभाग के अन्तर्गत गौला नदी में 1497.00 हे० में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव का नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या-2 में यह उल्लेख किया गया है कि "KML/Shape files of the area proposed for diversion as well as area used for raising compensatory afforestation have not been submitted. The same needs to be submitted to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools." इस क्रम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि अथवा अवनत वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण 1497.00 हे० वन भूमि उपखनिज चुगान हेतु प्रत्यावर्तन करने के स्थान पर 1497.00 हे० वन भूमि की क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यकता है।

अतः आपसे यह अनुरोध है कि कृपया अपने प्रभाग अन्तर्गत उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु अवनत आरक्षित वन क्षेत्र/सिविल सोयम वन भूमि की उपलब्धता से अवगत कराने का कष्ट करें। यदि आपके वन प्रभाग में सम्पूर्ण 1497.00 हे० अवनत आरक्षित वन अथवा सिविल सोयम वन भूमि उपलब्ध नहीं हो तो बड़े Patches में जितनी वन भूमि उपलब्ध हो, उसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त प्रकार से इस प्रकरण हेतु आपके द्वारा विन्हित वन भूमि पर किसी अन्य योजना के अन्तर्गत भविष्य में वृक्षारोपण न किया जाए तथा उक्त भूमि को इस वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रिजर्व रखा जाये।

यदि आपके प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कोई भी आरक्षित वन क्षेत्र/सिविल सोयम वन भूमि उपलब्ध न हो तो कृपया अपने पत्र में इस तथ्य को भी प्रमाणित करने का कष्ट करें कि आपके प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। कृपया प्रकरण की महत्ता को देखते हुए आपके स्तर से शीघ्रातिशीघ्र वांछित सूचना मय अभिलेख सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आपके स्तर से प्राप्त प्रस्ताव को उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक- 148 /12-1/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित को उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक- 148 /12-1/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक-524/दि0-30.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या-1 व 2 पर भी अपने स्तर से शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि आपके स्तर से भारत सरकार द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत सूचना प्राप्त होने के उपरान्त चाही गयी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी